कार्यालयः– वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल।

वन भवन, चतरा– 825401 (झारखण्ड)

Ph. & Fax (o) - 06541- 222303

E-mail:- dfochatrasouth@gmail.com

पत्रांक 2918 दिनांक 18.12.2021

सेवा में,

श्री संजीव कुमार,
प्रबंधक, चन्द्रगुप्त खुली खदान परियोजना,
आम्रपाली चन्द्रगुप्त क्षेत्र, सी0सी0एल0,
जिला परिषद बंगला, टण्डवा, चतरा।

विषयः– चतरा जिला के टण्डवा प्रखण्ड अन्तर्गत चन्द्रगुप्त खुली खदान कोल परियोजना निर्माण हेतु 699.38 हे0 (चतरा दक्षिणी– 21.70 हे0 एवं हजारीबाग पश्चिमी–677. 68 हे0) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि अपने पत्रांक GM(A-C)/ P&P/Forest/507 दिनांक 02.12.2021 द्वारा हॉर्ड कॉपी एवं ऑनलाईन प्रस्ताव इस कार्यालय में समर्पित किया गया है। समर्पित प्रस्ताव की जांच भारत सरकार द्वारा निर्गत चेकलिस्ट के अनुसार जांच किया गया। जांचोपरांत कई त्रुटियाँ एवं आवश्यक अभिलेख प्रस्ताव में संलग्न नहीं है जो निम्नवत् है :–

<u>ऑन लाईन त्रुटियाँ</u>

1. पार्ट–1 की कंडिका I (iii) में Short narrative of the proposal and project के संबंध में संक्षिप्त विवरणी अंकित है परन्तु Scheme for which the forest land is required के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। वनभूमि लेने का क्या औचित्य है के संबंध में स्पष्ट उल्लेख किया जाय।
2. पार्ट–1 की कंडिका B 1 में List of proposal submitted in past में Nil अंकित है, जो सही नहीं है, क्योंकि सी0सी0एल0 द्वारा समर्पित कतिपय वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा स्टेज–I एवं स्टेज– II की स्वीकृति दी गयी है। इन सबों की विवरणी उल्लेखित कॉलमों में अंकित करना अनिवार्य है।
3. पार्ट–1 की कंडिका B 2.1 में Details of division involved forest land में इस प्रमंडल के लिए मात्र 21.70 हे0 रकबा का उल्लेख है जबकि इस प्रमंडल अंतर्गत मौजा– उड़सु 21.70 हे0, बुकरू 217.46 हे0, नावाखाप 2.05 हे0, पचंडा– 92.34 हें एवं सिजुआ 67.41 हे0 उक्त सभी मौजा इस प्रमंडल अंतर्गत है। इस प्रकार इस प्रमंडल के लिए अपयोजित वनभूमि का रकवा 40.96 हे0 होगा। अतः इसमें सुधार की आवश्यकता है।
4. पार्ट–1 की कंडिका C (i) (a) में भी मात्र 21.70 हे0 वनभूमि का KML File अपलोड किया गया है जिसमें भी संशोधन कर इस प्रमंडल अंतर्गत सही अपयोजित होने वाला रकबा के अनुसार KML File तैयार कर अपलोड करना अनिवार्य है।
5. पार्ट–1 की कंडिका C (iii) में अपलोड टोपो मैप में भी सुधार कर संशोधित टोपो मैप अपलोड करना अनिवार्य है।
6. पार्ट–1 की कंडिका C (iv) में अपलोड अपयोजित होने वाले वनभूमि का Geo-reference map in shape file में भी संशोधन कर अपलोड करना अनिवार्य है।
7. पार्ट–1 की कंडिका D (i) में अपयोजित होने वाले वनभूमि के संबंध में Justification Letter अपलोड किया गया है एवं प्रस्ताव के साथ संलग्न है जिसका अवलोकन से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल अंतर्गत कितना रकबा अपयोजित होंगे तथा चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल अंतर्गत कितना रकबा अपयोजित होनें। अतः इसे स्पष्ट किया जाय।
8. पार्ट–1 की कंडिका F (ii) में R & R Plan अपलोड किया गया है परन्तु हॉर्ड कॉपी प्रस्ताव में संलग्न नहीं है।

9. पार्ट–1 की कंडिका F (ii)(a) में Copy of Approval to Ministry of Tribal Affairs Govt. of India to Rehabilitation and Resettlement की प्रति अपलोड है परन्तु हॉर्ड कॉपी प्रस्ताव में संलग्न नहीं है।
10. पार्ट–1 की कंडिका H (i) में EC की आवश्यकता है में "हॉं" का उल्लेख किया गया है परन्तु इसकी पूरी विवरणी एवं भारत सरकार द्वारा स्वीकृत EC की प्रति अपलोड नहीं है एवं हॉर्ड कॉपी प्रस्ताव में भी संलग्न नहीं है।
11. पार्ट–1 की कंडिका K(i) में वनाधिकार अधिनियम, 2006 से संबंधित प्रमाण–पत्र की आवश्यकता में No अंकित है जिसमें Yes अंकित कर विषयगत परियोजना से संबंधित उपायुक्त, चतरा द्वारा निर्गत वनाधिकार अधिनियम, 2006 से संबंधित प्रमाण–पत्र एवं इस क्रम हुई ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही की प्रति अपलोड करना अनिवार्य है।
12. पार्ट–1 की कंडिका M.1.(a) में Total Area of the mining lease (in ha): 1495 ha. Area अंकित है परन्तु इसकी प्रति हॉर्ड कॉपी संलग्न नहीं है।
13. पार्ट–1 की कंडिका M.2.(iii) & (iv) में Approval of mining plan and approved of mining plan अपलोड किया गया है परन्तु हॉर्ड कॉपी प्रस्ताव में संलग्न नहीं है।
14. पार्ट–1 की कंडिका M.2.(vi) में 1:40000 स्केल में Land use plan अपलोड किया गया है परन्तु हॉर्ड कॉपी में संलग्न नहीं है।
15. पार्ट–1 की कंडिका M.6.(i) में Details of approval under the Forest (Conservation) Act, 1980 के कॉलमों में Nil अंकित है। उसमें Yes अंकित करते हुये सी0सी0एल0 को अबतक भारत सरकार से माईनिंग के लिए प्राप्त लिज अवधि की विवरणी अंकित करना अनिवार्य है।
16. विषयगत परियोजना के विरूद्ध NPV, CA, PCA, Safety Zone and Others मद के लिए मांगी गई राशि को जमा करने संबंधी वचनबद्धता प्रमाण–पत्र पर प्राधिकृत पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं तिथियुक्त हस्ताक्षर के साथ Online प्रस्ताव के Additional Information में अपलोड करना अनिवार्य है।
17. विषयगत परियोजना में प्रभावित वृक्षों की सत्यापित गणना सूची पर प्राधिकृत पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं तिथियुक्त हस्ताक्षर के साथ Online प्रस्ताव के Additional Information में अपलोड करना अनिवार्य है।
18. विषयगत परियोजना से संबंधित सत्यापित भूमि विवरणी पर प्राधिकृत पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं तिथियुक्त हस्ताक्षर के साथ Online प्रस्ताव के Additional Information में अपलोड करना अनिवार्य है।
19. Manual Form A Part-1 पर प्राधिकृत पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं तिथियुक्त हस्ताक्षर के साथ Online प्रस्ताव के Additional Information में अपलोड करना अनिवार्य है।

ऑफ लाईन त्रुटियाँ

1. प्रस्ताव में संलग्न सभी पृष्ठों पर प्रस्ताव समर्पित करने हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी का नाम, मुहर के साथ तिथियुक्त हस्ताक्षर अंकित नहीं है।
2. विषयगत परियोजना में प्रभावित वृक्षों की सत्यापित गणना सूची संलग्न नहीं है। संलग्न किया जाय।
3. विषयगत परियोजना में प्रभावित गैरमजरूआ जंगल–झाड़ी भूमि का सक्षम स्तर से निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं संलग्न किया जाय।
4. विषयगत परियोजना में प्रभावित भूमियों का भूमि विवरणी सारांश के साथ संलग्न नहीं है। साथ ही Authenticated Land Schedule भी संलग्न नहीं है।
5. अपयोजित होने वाली वनभूमि में पुराने किला, मंदिर एवं बंगला नही है, के संबंध में वचनबद्धता प्रमाण–पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न नही है।
6. अपयोजित होने वाली वनभूमि के संबंध में वन्य प्राणी प्रबंधन योजना हेतु माँगी गई राशि जमा करने संबंधी वचनबद्धता प्रमाण–पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न नही है।
7. प्रस्ताव के साथ अपयोजित होने वाला वनभूमि का Geo-reference map in shape file भारत सरकार से प्राप्त मान्यता के अनुरूप संलग्न नही है एवं इस क्रम में तैयार किये गये file की प्रति भी संलग्न नही है।
8. प्रस्ताव के साथ Reclamation plan संलग्न नही है।

9. विषयगत परियोजना में अपयोजित होने वाले भूमियों को कैडस्ट्रल मैप पर अलग–अलग रंगों से दर्शाते हुये संलग्न नहीं है।

10. विषयगत परियोजना में अपयोजित होने वाले भूमि को 1:50000 स्केल पर दर्शाते हुये संलग्न नहीं है।

अतः उपरोक्त त्रूटियों/कमियों के निराकरण हेतु ऑन–लाईन एवं ऑफ–लाईन प्रस्ताव इस पत्र के साथ संलग्न कर वापस करते हुए अनुरोध है कि संशोधित प्रस्ताव यथाशीघ्र इस कार्यालय में समर्पित किया जाय, ताकि प्रस्ताव पर अग्रेतर कार्रवाई किया जा सके ।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

18-12-2021

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल।

18/12/2021